पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 05/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 03.01.2025

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 03.01.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना मुबारकपुरः शादी का झांसा देकर शारिरिक दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना–

दिनांक 12.11.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा विपक्षी अनुराग चौहान पुत्र लालजी चौहान निवासी सोढरी कोलहपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ द्वारा वादिनी की पुत्री को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया एवं आपत्तिजनक फोटो वीडियों बनाकर वायरल किया गया, के सम्बन्ध मे थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ पर मु0अ0सं0 454/2024 धारा 69/352/351(2)/ भारतीय न्याय संहिता व 67 आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना निरीक्षक अपराध अखिलेश शुक्ल द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरणः-

दिनांक 03.01.2025 को निरीक्षक अपराध अखिलेश कुमार शुक्ल मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त की तलाश मे अभियुक्त के घर ग्राम सोढरी कोलहपुर मे दबिश दिया गया तो अभियुक्त अनुराग चौहान पुत्र लालजी चौहान निवासी सोढरी कोलहपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ अपने घर पर ही मौजूद मिला जिसको समय करीब 12.35 बजे गिरफ्तार किया गया। नियमानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

02.थाना जहानागंजः 24 घण्टे के अन्दर चोरी की पर्दाफास, चोरी के सामान के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

अवगत कराना है कि दिनांक 02.01.2025 को थाना जहानागंज के वादी शिवानन्द खरवार पुत्र श्री गुलाब खरवार निवासी ग्राम कादीपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ नें उपस्थित थाना आकर एक प्रार्थना पत्र दिया कि दिनांक 31.12.2024/ 01.01.2025 की रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा वादी के कादीपुर बाजार में स्थित सिलाई मशीन की दुकान से 02 सिलाई मशीन व पानी वाला मोटर अज्ञात चोरों द्वारा चुला ले जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0- 02/25 धारा 331(4), 305 BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना उ0नि0 सुधांशू मिश्रा द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 03.01.2025 को उ0नि0 सुधाशु मिश्रा व उ0नि0 मदन कुमार गुप्ता मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये **अभियुक्त बैभव मौर्या पुत्र अरविन्द मौर्य निवासी ग्राम खड़गपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ उम्र 22 वर्ष को चोरी गये सामान 02 अदद सिलाई मशीन एक अदद पानी का मोटर** के साथ सूर्यमंदिर से जिगरसंडी पुलिया के पास समय करीब 8.30 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि दिनांक 31.12.24 की रात को शिवानंद खरवार की सिलाई की दूकान से चोरी किया है व्यक्ति ने आगे बताया कि साहब शिवानंद मेरा पैसा बकाया थे जो कई दिनो से नही दे रहे थे तो 31/12/24 की रात को मैने करीब 7 बजे सीसीटीवी कैमरा का स्विच बंद कर दिया था तथा दोस्तो के साथ अपनी किराने की दूकान पर नये साल की पार्टी मनाने लगा पार्टी के बाद करीब 11.30 बजे जब मेरे दोस्त चले गये तो मै रामानंद की दुकान के बाहर लगी सीढ़ी से रमानंद की दुकान के छत पर गया वहा से शिवानन्द खरवार कि दुकान पर गया वहा से शिवानंद खरवार की छत पर जाकर दरवाजे की कुंडी नट निकाल कर दरवाजा खोलकर सीड़ी के रास्ते सिलाई की दूकान के अंदर गया तथा दो बार मे दो सिलाई मशीन व एक पानी का मोटर लाकर अपनी दुकान में छुपा दिया